



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11012022-232571
CG-DL-E-11012022-232571

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 141]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 11, 2022/पौष 21, 1943

No. 141]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 11, 2022/PAUSHA 21, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जनवरी, 2022

का.आ. 145(अ).—केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खण्ड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 'अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं केन्द्र प्राधिकरण, गांधीनगर, गुजरात (पैन-AAAGI0596L), अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं केन्द्र प्राधिकरण, अधिनियम, 2019 (2019 का 50) की धारा 4 की उप-धाराओं (1) तथा (3) के अंतर्गत गठित प्राधिकरण को उक्त खण्ड के प्रयोजनों के लिए, उक्त प्राधिकरण को उद्भूत होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में, अधिसूचित करती है, नामतः-

- (क) केन्द्र सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान;
- (ख) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं प्राधिकरण अधिनियम, 2019 द्वारा प्राप्त शुल्क एवं प्रभार;
- (ग) केन्द्र सरकार द्वारा यथा निर्णीत अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं केन्द्र प्राधिकरण द्वारा प्राप्त अन्य कोई राशियां; और
- (घ) उपर्युक्त (क) से (ग) पर अर्जित ब्याज आय।

2. यह अधिसूचना इन शर्तों के अधीन प्रभावी होगी कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं प्राधिकरण, गुजरात,-

- (क) किसी भी वाणिज्यिक गतिविधि में संलग्न नहीं होगा;
- (ख) क्रियाकलाप और विनिर्दिष्ट आय की प्रकृति वित्तीय वर्षों में अपरिवर्तित रहेंगी; और

(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उपधारा(4ग) के खण्ड (छ) के प्रावधानों के अनुसार आय की विवरणी फाईल करेंगे।

3. इस अधिसूचना को वित्त वर्ष 2020-2021 के लिए लागू किया गया माना जाएगा और वित्तीय वर्षों 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, और 2024-2025 के संबंध में लागू होगी।

[अधिसूचना सं. 3 /2022/फा. सं. 300196/11/2021-आईटीए-1]

सौरभ जैन, अवर सचिव

व्याख्यात्मक ज्ञापन

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को पूर्वव्यापी प्रभाव देकर किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th January, 2022

S.O. 145(E).—In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, 'International Financial Services Centres Authority', Gandhinagar, Gujarat (PAN AAAGI0596L), an authority constituted under sub-sections (1) and (3) of section 4 of the International Financial Services Centres Authority, Act, 2019 (50 of 2019), in respect of the following specified income arising to that Authority, namely:-

- (a) Grant-in-aid received from Central Government;
- (b) Fees and charges received by International Financial Services Centres Authority Act, 2019;
- (c) Any other sums received by International Financial Services Centres Authority as decided by the Central Government; and
- (d) Interest income accrued (a) to (c) above.

2. This notification shall be effective subject to the conditions that International Financial Services Centres Authority, Gandhinagar, Gujarat,-

- (a) shall not engage in any commercial activity;
- (b) activities and the nature of the specified income shall remain unchanged throughout the financial years; and
- (c) shall file return of income in accordance with the provision of clause (g) of sub-section (4C) of section 139 of the Income-tax Act, 1961.

3. This notification shall be deemed to have been applied for the financial year 2020-2021 and shall apply with respect to the financial years 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 and 2024-2025.

[Notification No. 3 /2022/F. No. 300196/11/2021-ITA-I]

SOURABH JAIN, Under Secy.

Explanatory Memorandum

It is certified that no person is being adversely affected by giving retrospective effect to this notification.